

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2024/356

रीवा, दिनांक : 6-8-2024

अधिसूचना

प्राचार्य, महात्मा गांधी कालेज आफ एक्सीलेन्सी, सोहावल, सतना के पत्र दिनांक 05-04-2024 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11-07-2024 के आइटम क्रमांक-05 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलगुरु जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष कक्षा/पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2024-2025 से समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ —

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, महात्मा गांधी कालेज आफ एक्सीलेन्सी, सोहावल, सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
7. सहायक कुलसचिव, परीक्षा।
8. सहायक कुलसचिव — गोपनीय, अकादमिक, प्रशासन विभाग।
9. वित्ताधिकारी।
10. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय में उपर्युक्तानुसार संचालित कक्षा/पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
11. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नवस्वदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. कुलगुरु जी के सचिव।
13. कुलसचिव के निज सहायक।
14. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)